रा.पु.मु.ज. / 5–99 / 70,000

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं.

1. जिला.चौकी भ्र0 नि0 ब्यूरो, भरतपुर, ...थाना. प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर... वर्ष ..2023.
   प्र. इ. रि. स. .....287/2023..... दिनांक .....3/11/2023.....
2. (अ) अधिनियम भ्र0 नि0 (संशोधित) अधिनियम **वर्ष** 2018 . धारायें.....**7**.....
   (ब) अधिनियम .....धारायें.....
   (स) अधिनियम .....धारायें.....
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....52.....समय.....5.45 P.M.....
   (ब) अपराध घटने का दिन–दि.–गुरूवार /01.11.2023 / 03.50 पी.एम.....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक–31.10.2023 समय. 01.10 पी.एम. .....
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :– गुलपाडा रोड कैथवाडा।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी –पश्चिम , दूरी करीब 75 मीटर.....
   (ब) पता – .....बीट सख्या .....जरायमदेहीसं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना.....जिला.....
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम **श्री रमेश चन्द**
   (ब) पिता / पति का नाम सामन्ताराम जाति जाटव .....(स) जन्म तिथि / वर्ष 4 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
   (य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....जारी होने की जगह.....
   (र) व्यवसाय..... ।
   (ल) पता....गांव इकलेरा पुलिस थाना कैथवाडा जिला डीग।
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
   श्री विश्वामित्र पुत्र श्री रामनाथ जाति ब्राहम्ण उम्र 59 साल निवासी मालपुरा पुलिस थाना रामगढ जिला अलवर हाल निवासी पुराने थाने के पास कस्बा सीकरी पुलिस थाना सीकरी जिला डीग हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कैथवाडा जिला डीग।
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....
   .....20,000 / –रू0 रिश्वत राशि .....
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा / यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....
    .....20,000 / –रू0 रिश्वत राशि .....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) .....नहीं.....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी भरतुपर। विषय– रिश्वत लेते हुए रंगें हाथों पकडवाने बाबत्। महोदय, निवेदन है कि मेरे भाई का लडका सुभाष अलवर से आ रहा था जिसको पुलिस थाना कैथवाडा ने पकड कर झूठा मुकदमा दर्ज कर पडक लिया थाने पर मेरे भतीजे के खिलाफ मुकदमा नं0 215 / 023 दर्ज होकर अनुसंधान चल रहा है जिसका अनुसंधान श्री विश्वामित्र एएसआई थाना कैथवाडा द्वारा किया जा रहा है। एएसआई साहब द्वारा मेरे भतीजे के मुकदमें में मदद करने के लिये तीन दिन पहले 50000 रूपये ले लिये व अब मेरे भतीजे के मुकदमें में मदद करने व मेरी भतीजी गुडडी को मुल्जिम बनाने की धमकी देकर 20000 रूपये और मांग रहा है। मै ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत देना नहीं चाहता हूं रंगें हाथों पकडवाना चाहता हूं श्रीमान से निवेदन है कि कार्यवाही करने की कृपा करें। एसडी रमेश चन्द प्रार्थी रमेश चन्द पुत्र सामन्ता राम ग्राम इकलहरा तहसील पहाडी जिला डीग भरतपुर राज0 मों0 9602489828 एसडी अमित सिंह अति0 पुलिस अधीक्षक एसीबी भरतपुर 31.10.2023 एसडी वीरेन्द्र सिंह 01.11.2023 एसडी रविन्द्र सिंह 01.11. 2023 ।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 31.10.2023 को समय 01.10 पीएम पर परिवादी श्री रमेश चन्द पुत्र सामन्ताराम जाति जाटव उम्र 43 साल निवासी ग्राम इकलहरा पुलिस थाना कैथवाडा जिला भरतपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित रिपोर्ट मय स्वंय के आधार कार्ड की छायाप्रति व पुलिस थाना कैथवाडा में दर्ज एफआईआर नं0 215/23 की प्रति के मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर को सम्बोधित करते हुए पेश की। उक्त लिखित रिपोर्ट पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह द्वारा परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने बताया कि उक्त लिखित तहरीरी रिपोर्ट मैनें अपने हाथ से लिखी है उक्त रिपोर्ट पर मेरे स्वंय के हस्ताक्षर हैं। मेरे भतीजे सुभाष के खिलाफ पुलिस थाना कैथवाडा जिला डीग में दर्ज प्रकरण संख्या 215/23 का अनुसंधान थाने के एएसआई विश्वामित्र कर रहे हैं जो मेरे से मेरी भतीजी गुड्डी को मुल्जिम न बनाने व मुकदमें में मदद करने की एवज 20,000/–रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है व परिवादी ने बताया कि श्री विश्वामित्र एएसआई ने मुझे कल सुबह थाने पर बुलाया है। उक्त लिखित रिपोर्ट व मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने परसराम कानि.203 को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी व परसराम कानि. का परिचय कराकर विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर जरिये कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्री रविकुमार हैड कानि0 नं0 52 से कार्यालय के मालखाना से निकलवा कर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को परिवादी को चालू व बन्द करने की विधि समझाई जाकर श्री परसराम कानि0 जरिये फर्द सुपुर्द किया जाकर हिदायत दी गई कि वॉईस रिकॉर्डर को परिवादी को देने से पूर्व अपना परिचय देकर सुपुर्द करें एवं निर्देशित किया गया कि कल दिनांक 01.11.2023 को सुबह आप वाईस रिकार्डर लेकर कैथवाडा पहुंच कर परिवादी से सम्पर्क कर नियमानुसार सत्यापन की कार्यवाही करावे। फर्द सुपुर्दगी वॉईस रिकॉर्डर पृथक से मूर्तिव की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 02.00 पीएम पर परिवादी श्री रमेश चन्द पुत्र सामन्ताराम जाति जाटव उम्र 43 साल निवासी ग्राम इकलहरा पुलिस थाना कैथवाडा जिला भरतपुर को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। तत्पश्चात समय 05.00 पीएम पर श्री परसराम कानि. रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु कैथवाडा रवाना किया गया। व परिवादी से सम्पर्क कर सत्यापन कराने हेतु हिदायत दी गई कि बाद सत्यापन वाईस ट्रेप रिकार्डर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे। इसके बाद दिनांक 01.11.2023 को समय 09.00 एएम पर श्री परसराम कानि. ने मन् अति. पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल बताया कि मैं व परिवादी कस्बा कैथवाडा पहुँच गयें है व परिवादी की आरोपी श्री विश्वामित्र एएसआई से जरिये मोबाईल वार्ता हुई तो आरोपी विश्वामित्र ने आधे घंटे में थाने पर पहुँचने के लिए कहा है। तत्पश्चात समय 10.30 एएम पर श्री परसराम कानि. ने मन् अति. पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल बताया कि परिवादी की आरोपी श्री विश्वामित्र एएसआई से जरिये मोबाईल वार्ता बात हुई तो आरोपी विश्वामित्र ने बताया कि मैं थाने पर पहुँच गया हूँ। जिस पर परसराम कानि. को हिदायत दी गई वाईस ट्रेप रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपूर्द करें।व सत्यापन के बाद वाईस रिकार्डर को प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित वापस लेकर आवे। तत्पश्चात समय 11.35 एएम पर श्री परसराम कानि. ने मन् अति. पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल बताया कि परिवादी की आरोपी श्री विश्वामित्र एएसआई से वार्ता हो गयी है और वाईस ट्रेप रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया है व परिवादी ने बताया कि आरोपी विश्वामित्र सहायक उप निरीक्षक ने मेरी भतीजी का नाम निकालने की एवज में 20,000 रूपये की मॉग की है और रिश्वती राशि आज ही शाम तक लाने के लिए कहा है एवं मन् अति. पुलिस अधीक्षक की परिवादी रमेश से बात करायी तो परिवादी ने परसराम कानि. के द्वारा बतायी हुई वार्तालाप की ताईद की । इसके बाद समय 12.15 पीएम पर श्री राजेन्द्र सिह कानि. 106 को गोपनीय राजकार्य हेतु स्वतन्त्र गवाह लाने हेतु कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग भरतपुर के नाम तहरीर जारी कर कार्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग भरतपुर रवाना करने पर समय 12.30 पीएम पर वापस कार्यालय आया। मन अति. पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए स्वतन्त्र गवाहान का परिचय पूछा तो उन्होने अपना नाम श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री मूलाराम उम्र 33 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम मई पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर हाल सहायक अभियंता कार्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी शहरी खण्ड भरतपुर एवं श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री अमर सिंह जाति जाटव उम्र 33 साल निवासी ग्राम मेंहदी बाग भरतपुर हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी शहरी खण्ड भरतपुर होना बताया। दोनों स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही से अनभिज्ञ रखते हुए कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 12.50 पीएम पर श्री अवधेश कुमार हैडकानि.68, विनोद कुमार कानि.114, राजेन्द्र सिंह कानि. 206, यशपाल कानि. को मय लेपटॉप प्रिन्टर यूपीएस मय ट्रेप बॉक्स व

फिनोपथिलीन पाउडर के मय प्राईवेट कार मय प्राईवेट चालक के आगे आगे रवाना कर उनके पीछे –पीछे मन अति. पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, एवं श्री दिलीप कुमार कानि 610.के अपनी निजी कार से वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु भरतपुर से रवाना कैथवाडा हुआ। तत्पश्चात समय 02.05 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहों मय लेपटॉप प्रिन्टर यूपीएस मय ट्रेप बॉक्स व फिनोपथिलीन पाउडर के कैथवाडा कस्बा से करीब 3 किमी. पहले डीग रोड -- कैथवाडा पहूँचा । जहॉ परिवादी श्री रमेश चन्द व परसराम कानि. निर्धारित स्थान पर उपस्थित मिले। जहां पर परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय कराया जाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान का परिवादी द्वारा कराई जा रही ट्रेप कार्यवाही से अवगत कराया गया व परिवादी द्वारा कल दिनांक 31.10.2023 को कार्यालय में पेश की गई लिखित रिपोर्ट को पढने को दिया गया व दोनों स्वतंत्र गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी– अपनी मौखिक सहमति दी व प्रमाण स्वरूप दोनों स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी द्वारा पेश की गई तहरीर पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। श्री परसराम कानि. से वाईस टेप रिकार्डर को जरिये फर्द प्राप्त कर चालू कर सुना गया तो रिश्वत मॉग होना पाया गया । समय अभाव के कारण फर्द ट्रान्सक्रिप्ट सत्यापन पृथक से तैयार कर मुर्तिब की जावेगी। वाईस टेप रिकार्डर से मैमोरी कार्ड को निकालकर टेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाया गया। एवं दूसरा नया खाली मैमोरी कार्ड वाईस रिकार्डर में लगाया गया। तत्पश्चात समय 02.30 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी के समक्ष मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री रमेश चन्द पुत्र श्री सामन्ता राम जाति जाटव उम्र 43 साल निवासी ग्राम इकलहरा पुलिस थाना कैथवाडा जिला डीग को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से 40 नोट पांच–पांच सौ रूपये के कुल 20,000/– रूपये निकालकर पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र.सं.	नोट का प्रकार	नोटों के नम्बर
1	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 AN 897514
2	एक नोट पांच सौ रूपये का	3 GU 549529
3	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 WP 298872
4	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 NW 541886
5	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 EQ 606246
6	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 QP 091649
7	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 UL 060277
8	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 BP 046486
9	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 AK 533021
10	एक नोट पांच सौ रूपये का	3 PG 594383
11	एक नोट पांच सौ रूपये का	3 TG 800815
12	एक नोट पांच सौ रूपये का	4 MU 930595
13	एक नोट पांच सौ रूपये का	4 KQ 571147
14	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 DA 531692
15	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 VC 395666
16	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 EQ 493006
17	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 RL 047887
18	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 AP 909763
19	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 RE 838870
20	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 VA 618388
21	एक नोट पांच सौ रूपये का	3 SC 259234
22	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 VS 846865
23	एक नोट पांच सौ रूपये का	6 UU 700117
24	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 UU 368609
25	एक नोट पांच सौ रूपये का	6 QD 972799
26	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 EA 605628

27	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 EM 032946
28	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 LT 195902
29	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 FC 879749
30	एक नोट पांच सौ रूपये का	3 EG 000561
31	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 NG 290819
32	एक नोट पांच सौ रूपये का	4 QP 352258
33	एक नोट पांच सौ रूपये का	6 QS 001787
34	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 NG 407620
35	एक नोट पांच सौ रूपये का	4 HP 731720
36	एक नोट पांच सौ रूपये का	1 BC 572228
37	एक नोट पांच सौ रूपये का	6GP 360693
38	एक नोट पांच सौ रूपये का	3 LQ 668239
39	एक नोट पांच सौ रूपये का	3 V C 631682
40	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 QW 419707

उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल–बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री यशपाल कानि. 473 से प्राईवेट गाडी के डेस्क बोर्ड से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री यशपाल कानि. से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली–भांति लगवाया गया तथा परिवादी रमेश चन्द की जामा तलाशी गवाह श्री वीरेन्द्र सिह से लिवायी जाकर परिवादी के पास पहने हुए परिधान एवं उसके मोबाईल के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 20,000/–रूपये के नोटों को श्री यशपाल कानि. से परिवादी श्री रमेश चन्द की पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी जेब में सीधे ही रखवाये जाकर उसे हिदायत दी कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा उससे हाथ नहीं मिलावे यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोडकर अभिवादन करे, आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर/मोबाईल से फोन कर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी तथा आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री रविन्द्र सिंह सहायक अभियंता से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री यशपाल कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिकिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास व धोवन को रोड के पास ही फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्री यशपाल कानि. को सुपुर्द कर एसीबी चौकी भरतपुर रवाना होने की हिदायत दी गई श्री यशपाल कानि. के दोनों हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी श्री रमेश चन्द को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर को वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि

समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। पाउडर लगाने वाले श्री यशपाल कानि. को मय फिनोपथिलीन पाउडर के रवाना एसीवी कार्यालय भरतपुर किया गया। फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 03.05 पीएम पर परिवादी रमेश चन्द व परसराम कानि. को अपनी अपनी निजी मोटर साईकिलों से आगे आगे रवाना कर उनके पीछे मन अ0पु0अ0 मय स्वतंत्र गवाहों, ट्रेप पार्टी मय लेपटॉप प्रिन्टर यूपीएस मय ट्रेप बॉक्स के पुलिस थाना कैथवाडा के लिये रवाना हुआ। तत्पश्चात समय 03.15 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा पुलिस थाना कैथवाडा के पास पहुंचा जहां वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी को आरोपी के पास पुलिस थाना कैथवाडा रवाना कर परिवादी के पीछे श्री विनोद सिंह कानि0 व श्री दिलीप सिंह कानि0 व परसराम कानि0 को रवाना किया गया व मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के वाहनों के पास से रवाना हो पुलिस थाना कैथवाडा के आस पास अपनी अपनी पहचान छुपाते हुए खडे हो गये। तत्पश्चात समय 03.20 पीएम पर परिवादी श्री रमेश चन्द पुलिस थाना कैथवाडा से बिना कोई ईशारा किये वापस आया और बताया कि थानेदार विश्वामित्र किसी कार्य से बाहर गये हुए हैं जिन्होने मुझे कस्बा कैथवाडा में बुलाया है। इस पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने हमराही जाप्ता को आरोपी के परिवादी के बुलाने के स्थान के बारे में बता कर परिवादी को आगे आगे रवाना कर उसके पीछे–पीछे मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ते के पुलिस थाना कैथवाडा से रवाना होकर कस्बा कैथवाडा में चौराहे पर पहुंचा। व मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता चौराहे के आस पास अपनी पहचान छुपाते हुए खडे हो गये। तत्पश्चात समय 03.40 पीएम पर परिवादी रमेश ने बताया कि अभी अभी मेरी श्री विश्वामित्र सहायक उप निरीक्षक से जरिये मोबाईल बात हुई है उसने मुझे कैथवाडा चौराये पर जूस की दुकान पर बैठने के लिए कहा है। इस पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने हमराही जाप्ता को आरोपी के परिवादी के बुलाने के स्थान के बारे में बता कर परिवादी को आगे आगे रवाना कर उसके पीछे–पीछे मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ते के पुलिस थाना कैथवाडा से रवाना होकर कस्बा कैथवाडा में पहुंचा। व परिवादी को आरोपी के कहे अनुसार जूस की दुकान पर बिठाया गया व मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता जूस की दुकान के आस पास अपनी पहचान छुपाते हुए खडे हो गये। इसके बाद समय 03.45 पीएम पर परिवादी रमेश ने बताया कि अभी अभी मेरी श्री विश्वामित्र सहायक उप निरीक्षक से जरिये मोबाईल बात हुई है उसने मुझे थाने की तरफ बुलाया है। जिस पर मन् अति पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी व मय लेपटॉप प्रिन्टर यूपीएस मय ट्रेप बॉक्स के कैथवाडा गुलपाडा रोड कैथवाडा चौराये से थोडी दूर परिवादी के आसपास अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रोड पर खडे हो गये। तत्पश्चात समय 03.50 पीएम पर मन अति0 पुसिल अधीक्षक को परिवादी श्री रमेश चन्द के नियत इशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के गुलपाडा रोड कस्बा कैथवाडा पर रोड के पास बने मकानों के पास से रवाना होकर गुलपाडा रोड कैथवाडा पर परिवादी के पास पहुंचा जहां परिवादी श्री रमेश चन्द उपस्थित मिला जिससे पूर्व में सुपुर्द शुदा वॉईस रिकॉडर को प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा, परिवादी श्री रमेश चन्द ने पास में मोटर साईकिल पर वर्दी में बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर मन अति0 पुलिस अधीक्षक को बताया कि यही विश्वामित्र एएसआई है जिसने अभी अभी मेरे से रिश्वत में 20000 रूपये अपने बांये हाथ में लेकर अपने हाथ में ही पकड हुए हैं। इस पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए मोटर साईकिल पर वर्दी में बैठे व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो वर्दी में बैठे व्यक्ति ने बांये हाथ में पकडे हुए रिश्वत राशि 20000 रूपये को रोड के किनारे फेंक दिया और मोटर साईकिल को स्टार्ट करके भागने की कोशिश करने लगा इस पर मन

अति0 पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आरोपी का बायां हाथ श्री विनोद सिंह कानि0 द्वारा व आरोपी का दायां हाथ श्री दिलीप सिंह कानि0 द्वारा कलाईयो के उपर से पकडवाया गया तथा रिश्वत राशि 20000 रूपये को स्वतंत्र गवाह वीरेन्द्र सिंह से उठवाया जाकर गिनवाया गया तो भारतीय चलन मुद्रा के पांच –पांच सौ रूपये के 40 नोट कुल 20000 रूपये होना पाये गये जिनके नम्बरो का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से कराया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये जिनको सुरक्षित स्वतंत्र गवाह श्री वीरेन्द्र सिंह के पास रखवाया गया। आरोपी सहायक उप निरीक्षक रोड पर जोर जोर से चिल्लाने लगा जिससे मौके पर काफी भीड जमा होने लगी कार्यवाही में बाधा उत्पन्न होने के कारण आरोपी को हाथ पकडी हुई अवस्था में गाडी में बिठाकर रवाना होकर पुलिस थाना कैथवाडा पहुंचा पुलिस थाना कैथवाडा पर आरोपी से नाम पता पूछा तो आरोपी ने अपना नाम विश्वामित्र पुत्र श्री रामनाथ जाति ब्राहम्ण उम्र 59 साल निवासी मालपुरा पुलिस थाना रामगढ जिला अलवर हाल निवासी पुराने थाने के पास कस्बा सीकरी पुलिस थाना सीकरी जिला डीग हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कैथवाडा जिला डीग होना बताया। इस पर आरोपी से परिवादी से ली गई रिश्वत राशि 20000 रूपये के संबंध में पूछा तो आरोपी ने बताया कि मैं पुलिस थाना कैथवाडा में सहायक उप निरीक्षक के पद पर करीब ढाई साल से पदस्थापित हूं। मेरे पास प्रकरण संख्या 215/23 धारा 420, 467, 468, 471 जैर अनुसंधानाधीन है। जिसमें बालक सुभाष को निरूद्ध किया था। आज दिनांक 01.11.2023 को रमेश चन्द मेरे पास आये थे। उन्होने कहा कि हमारे गुडडी व नैना के एटीएम व बैंक पासबुक आपके पास हैं उनके लिये आप क्या कर सकते हो मैने कहा कि एटीएम और पासबुक हैं। आप नैना को पूछताछ हेतु ले आना अगर प्रकरण हाजा में उसकी कोई संलिप्ता होगी तो जानकारी में आ जावेगा इसके बाद रमेश में कहा कि ले देकर आप उनका नाम निकाल दो और कहा कि कितने पैसे लगेंगे मैने कहा कि आप उनको पूछताछ के लिये लाओ पैसे की कोई बात नहीं है। मैने रमेश से कोई रिश्वत की मांग नहीं की और ना ही मैने कोई रिश्वत राशि प्राप्त की है। इस पर पास में खडे परिवादी ने आरोपी की बातों का खण्डन करते हुए कहा कि एएसआई साहब झूठ बोल रहे हैं एएसआई साहब दिनांक 25.10.2023 को तफ्तीश में हमारे घर गये थे और मेरे से बोल कर आये थे कि आप घर के समझदार व्यक्ति हो प्ररकण में सुभाष के अलावा गुडडी और नैना भी आरोपी हो सकती है आप मुझे 50000 हजार रूपये दे देना तो मैं इनको मुल्जिम नहीं बनाउंगा। जिसकी शिकायत करने मै आपके पास दिनांक 26.10.2023 को गया था लेकिन मुझे जरूरी काम आ जाने के कारण मैने आपको केवल मौखिक रूप से ही बताया था इसके बाद मैने आपको दिनांक 31.10.2023 को आपके कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में शिकायत दी थी और मैने आपको बताया कि एएसआई विश्वामित्र ने मुझे कल दिनांक 01.11.2023 को बुलाया है, मेरे बताने पर आपने रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन आज दिनांक 01.11.2023 को कराया था। उक्त मांग के अनुसंरण में एएसआई साहब ने मेरे से गुलपाडा रोड कैथवाडा में मेरे से रिश्वत में 20000 रूपये अपने बांये हाथ में लेकर अपने हाथ में ही पकडे मोटर साईकिल पर बैठा था इसके बाद आप और आपकी टीम आ गई थी। इस पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए ट्रेप बॉक्स में से पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवा कर गवाह श्री रविन्द्र सिंह सहायक अभियंता से पुलिस थाना कैथवाडा में लगे वाटर कूलर से बोतल में पानी मगवाया जाकर गिलास में पानी डलवा कर ट्रेप बॉक्स से सोडियम कार्बोनेट की शीशी निकाल कर गिलास में पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर गवाह रविन्द्र सिंह से हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस घोल में आरोपी विश्वामित्र सहायक उप निरीक्षक के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा

करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क एल एच–1 व एल एच–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। पुनः गवाह रविन्द्र सिंह से दूसरे पारदर्शी डिस्पोजल में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में आरोपी विश्वामित्र सहायक उप निरीक्षक के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर एच–1 व आर एच–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी द्वारा फेंके गई रिश्वती राशि जिसको मौके पर गवाह वीरेन्द्र सिंह से उठवाई गई थी को पुनः गिनवाया गया तो भारतीय चलन मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 40 नोट कुल 20000 रूपये होना पाये गये सभी 40 नोटो को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात परिवादी से पूर्व में प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को लेपटॉप से कनैक्ट कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण कार्यालय में कम्प्यूटर की सहायता से हैड फोन से सुना जाकर तैयार करवाया जावेगा। परिवादी के भतीजे सुभाष से संबंधित मुकदमा 215/23 की अनुसंधान पत्रावली के संबंध में पूछा तो बताया कि प्रकरण की पत्रावली बाल न्यायालय भरतपुर भेजी हुई है। जिसको जरिये फर्द पृथक से जप्त किया जावेगा। आरोपी के रिहायशी आवास की तलाशी हेतु उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। अब तक की ट्रेप कार्यवाही से आरोपी विश्वामित्र सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कैथवाडा जिला डीग के विरूद्ध धारा 7, पी.सी. एक्ट 1988 यथा संशोधित 2018 आईपीसी का जुर्म प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। जिनको जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। फर्द बरामदगी पृथक से मूर्तिव की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करा कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 06.30 पीएम पर गवाहान एवं परिवादी श्री रमेश के समक्ष आरोपी विश्वामित्र पुत्र श्री रामनाथ जाति ब्राहम्ण उम्र 59 साल निवासी मालपुरा पुलिस थाना रामगढ जिला अलवर हाल निवासी पुराने थाने के पास कस्बा सीकरी पुलिस थाना सीकरी जिला डीग हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कैथवाडा जिला डीग को परिवादी श्री रमेश से 20,000/– रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडे जाने पर आरोपी श्री श्री विश्वामित्र सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कैथवाडा का उक्त कृत्य धारा 7, पीसी (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 का पाये जाने पर आरोपी द्वारा साक्ष्यों को खुर्द बुर्द करने व गवाहों को डाराने, धमकाने एवं टेम्परविद करने तथा फरार होने का अंदेशा होने के कारण आरोपी को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा समस्त कानूनी प्रावधानों का ध्यान रखते हुए जरिये चैक लिस्ट गिरफ्तार किया जाकर हिरासत एसीबी लिया गया। अभियुक्त की जामा तलाशी गवाह श्री रविन्द्र सिंह सहायक अभियंता से लिवायी गई तो आरोपी के पास एक मोबाईल रियलमी कम्पनी सी –15 डबल सिम का मिला जिसमें नं0 9610559750 वी आई की सिम डली हुई है व राशि 27000/–रूपये पाये गये उक्त राशि के संबंध में आरोपी से पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिये जाने पर उक्त संदिग्ध राशि को कब्जे एसीबी लिया। इसके बाद समय 07.10 पीएम गवाहान व परिवादी श्री रमेश चन्द के समक्ष उक्त प्रकरण में आरोपी विश्वामित्र सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कैथवाडा जिला डीग की आवाज की पहचान हेतु सरकारी वाईस रिकार्डर जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है । उक्त वाईस रिकार्डर को लैपटॉप से अटैच कर चलाया जाकर पुलिस थाना कैथवाडा में उपस्थित श्री प्रभुदयाल पुत्र धनीराम जाति प्रजापत उम्र–51 वर्ष निवासी इमलारी पुलिस थाना सीकरी जिला डीग हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कैथवाडा को सुनवाई जाकर पहचान करवाई गई तो श्री प्रभुदयाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कैथवाडा ने उक्त वार्ता में से एक आवाज को पहचान कर विश्वामित्र सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कैथवाडा जिला डीग की होना

बताया है। तत्पश्चात समय 07.40 पीएम पर परिवादी के कहने पर आरोपी विश्वामित्र से प्रकरण संख्या 215/23 से संबंधित नैहना व गुडडी से संबंधित दस्तावेजात के संबंध में पूछा तो आरोपी विश्वामित्र सहायक उप निरीक्षक ने बताया कि नैहना व गुडडी से संबंधित दस्तावेज मैने अभी फाईल पर नहीं लिये हैं संबंधित कागज मेरे कार्य करने के कक्ष में रखी आलमारी में रखे हैं इस पर आरोपी को स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में थानाधिकारी कक्ष से आरोपी के कार्य करने की कक्ष में ले जाया गया जहां पर आरोपी ने मौजूद अलमारी में से कुछ दस्ताजेव पेश किये गये जिनका मन अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा अवलोकन किया गया तो निम्न दस्तावेज होना पाया गया। 1– नैहना का आधार कार्ड व वोटर आईडी व पेनकार्ड तथा पीएनबी बैंक की पास बुक व गुडडी की वोटर आईडी मिले उक्त संबंधित दस्ताजेव को पृथक से जरिये फर्द जप्त किया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर कराये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 08.50 मन अति. पुलिस पुलिस मय ट्रेप टीम के बाद ट्रेप कार्यवाही मौके से मय शील्ड शुद्वा आर्टिकल, रिश्वती राशि मय ट्रेप बॉक्स मय फर्दात व जप्त रिकॉर्ड मय गिरफ्तार शुद्वा आरोपी श्री विश्वामित्र सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना कैथवाडा जिला डीग से घटना स्थल के लिये रवाना होने पर समय 09.30 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता शील्ड शुद्वा आर्टिकल, रिश्वती राशि मय ट्रेप बॉक्स मय फर्दात व जप्त रिकॉर्ड मय गिरफ्तार शुद्वा आरोपी के घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका आरोपी व गवाहान की मौजूदगी में परिवादी की निशादेही पर रोड लाईट एवं वाहानों की लाईटो की रोशनी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 09.30 पीएम पर श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 मय विनोद सिंह , मय राजेन्द्र सिंह मय आरोपी विश्वामित्र के सरकारी गाडी मय चालक धर्मवीर के रवाना कर हिदायत दी गई की आप आरोपी को पुलिस थाना मथुरागेट में बन्द हवालात कराकर कार्यालय पहुंचे तथा मन अति. पुलिस पुलिस मय ट्रेप टीम के बाद कार्यवाही मौके से मय शील्ड शुद्वा आर्टिकल मय ट्रेप बॉक्स मय फर्दात व जप्त रिकॉर्ड के एसीवी चौकी भरतपुर रवाना हुआ तत्पश्चात समय 11.30 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय शील्ड शुद्वा आर्टिकल मय ट्रेप बॉक्स मय फर्दात व जप्त रिकॉर्ड मय स्वतंत्र गवहान के एसीवी कार्यालय भरतपुर पहुंचा। तत्पश्चात समय 11.50 पीएम पर श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 मय हमराहीयान जाप्ता मय सरकारी गाडी के कार्यालय आया और मन अति0 पुलिस अधीक्षक को बताया कि आरोपी को पुलिस थाना मथुरागेट में बन्द हवालात कराया जा चुका है व थाने की रपट की प्रति पेश की तथा कार्यवाही में शील्ड शुद्वा आर्टिकल व रिश्वती राशि व को श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 को सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया। तथा वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मैमोरी कार्ड व रिश्वत लेने देने वार्ता के मैमोरी कार्ड को सुरक्षार्थ मालखाना में रखवाया गया। रात्री अधिक होने के कारण परिवादी को कार्यालय में ही रूकने की हिदायत दी गई व दोनों स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 02.11.2023 को समय 09.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 02.11.2023 को समय 10.15 एएम पर पाबन्द शुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय आये जिनको कार्यालय में विठाया गया। तत्पश्चात समय 10.25 एएम पर विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मैमोरी कार्ड को डाल कर रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टी वायरस डाला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉईस रिकॉर्डर में किसी भी प्रकार का वायरस / मालवेयर नहीं पाया गया उक्त वॉईस रिकॉडर की एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर की सहायता से हैश व्यैल्यू निकाली जाकर हैश व्यैल्यू का प्रिन्ट आउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 10.30 एएम पर दिनांक 01.11.2023 को परिवादी रमेश चन्द व आरोपी विश्वामित्र सहायक उप निरीक्षक के मध्य हुई वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप के मैमारी कार्ड को डिजीटल वॉईस रिकार्डर में डाल कर कार्यालय के कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में परिवादी से पूछ पूछ तैयार किया गया। सीडी की और दो सीडी तैयार

करवायी गई। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " ए " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थैलियों में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैलियों पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाकर गये डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में से मैमोरी कार्ड को निकाल कर मैमारी कार्ड को प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर डिब्बी को कपडे की थैली में रखवाकर सील मौहर करवाकर मार्क "एम" अंकित कर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर गय मूल व मुल्जिम सीडी व मैमारी कार्ड को सुरक्षित मालखाना रखने हेतु श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 को दुरूस्त हालत में सम्भलाया गया तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 12.50 पीएम पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की आई ओ सीडी को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टी वायरस डाला हुआ है से स्कैन किया गया तो सीडी में किसी भी प्रकार का वायरस / मालवेयर नहीं पाया गया उक्त सीडी की "एफटीके इमेजर" सॉफ्टवेयर की सहायता से हैश व्यैल्यू निकाली जाकर हैश व्यैल्यू का प्रिन्ट आउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 12.55 पीएम पर विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिश्वत लेन देन वार्ता के मैमोरी कार्ड को डाल कर रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टी वायरस डाला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉईस रिकॉर्डर में किसी भी प्रकार का वायरस / मालवेयर नहीं पाया गया उक्त वॉईस रिकॉडर की एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर की सहायता से हैश व्यैल्यू निकाली जाकर हैश व्यैल्यू का प्रिन्ट आउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 01.00 पीएम पर दिनांक 01.11.2023 को परिवादी रमेश चन्द व आरोपी विश्वामित्र सहायक उप निरीक्षक के मध्य हुई वक्त रिश्वत लेन देन वार्ता के मैमारी कार्ड को डिजीटल वॉईस रिकाडर्र में डाल कर कार्यालय के कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में परिवादी से पूछ पूछ तैयार किया गया। सीडी की और दो सीडी तैयार करवायी गई। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " बी " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थैलियों में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैलियों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर गये डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में से मैमोरी कार्ड को निकाल कर मैमारी कार्ड को प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर डिब्बी को कपडे की थैली में रखवाकर मार्क "एम–1" अंकित कर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर गय मूल व मुल्जिम सीडी व मैमारी कार्ड को सुरक्षित मालखाना रखने हेतु श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 को दुरूस्त हालत में सम्भलाया गया तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 02.20 पीएम पर रिश्वत लेन देन वार्ता की आई ओ सीडी को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टी वायरस डाला हुआ है से स्कैन किया गया तो सीडी में किसी भी प्रकार का वायरस / मालवेयर नहीं पाया गया उक्त सीडी की "एफटीके इमेजर" सॉफ्टवेयर की सहायता से हैश व्यैल्यू निकाली जाकर हैश व्यैल्यू का प्रिन्ट आउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 02.30 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी व परिवादी के समक्ष परिवादी श्री रमेश चन्द के भतीजे सुभाष के विरूद्ध दर्ज मुकदमा नं0 215/23 धारा 467,468,420,471 आईपीसी की अनुसंधान पत्रावली जिसका अनुसंधान आरोपी विश्वामित्र सहायक उप निरीक्षक द्वारा किया जा रहा थां उक्त पत्राबली वक्त कार्यवाही बाल न्यायालय भरतपुर में होने से आज दिनांक 02.11.2023 को श्री अनिल गौतम उप निरीक्षक थानाधिकारी ने लाकर पेश की पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पत्रावली पेज 01 लगायत 113 है पत्रावली का प्रथम पृष्ठ श्रीमान प्रीसिपल मजिस्ट्रेट बाल न्यायालय भरतपुर को भेजी तथ्यात्मक रिपोर्ट है जिसपर पुलिस थाना कैथवाडा के पत्र कमांक 2011 दिनांक 22.10.2023 डला हुआ है। पत्रावली के पृष्ठ संख्या 03 पर फाईल का सरवर्क लगा हुआ है जिसपर राजस्थान पुलिस सरवर्क केश फायल पुलिस थाना कैथवाडा जिला डीग अंकित है। जिसके नीचे प्रकरण संख्या 215/23 व अनुसंधान अधिकारी का नाम श्री विश्वामित्र स0उ0नि0 पुलिस थाना कैथवाडा जिला डीग मो0 नं0 9610559750 लिखा हुआ है।

अंतिम पृष्ठ पर केस डायरी सं. 03 दिनांक 25.10.2023 संलग्न है। पत्रावली की प्रकरण हाजा में बतौर बजह सबूत आवश्यकता होने पर पत्रावली पेण्डिंग अनुसंधान होने पर पत्रावली की छायाप्रति करवाई जाकर थानाधिकारी श्री अनिल गौतम उप निरीक्षक पुलिस थाना कैथवाडा से प्रमाणित करवाई जाकर प्रमाणित छायाप्रति को कार्यवाही हाजा में बतौर बजह सबूत जप्त कर कब्जे एसीबी ली गई पत्रावली के प्रथम व अंतिम पृष्ठ पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर असल पत्रावली को परिवादी का वैद्य कार्य निष्पक्ष करवाने की हिदायत कर थानाधिकारी को सुपुर्द की गई। फर्द जप्ती रिकॉर्ड पृथक से मूर्तिव की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर कराकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद 03.00 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 52 को परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री रविन्द्र सिंह सहायक अभियंता को दी गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूख्सत किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया है कि आरोपी विश्वामित्र सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कैथवाडा जिला डीग द्वारा परिवादी श्री रमेश चन्द पुत्र श्री सामन्ता राम जाति जाटव उम्र 43 साल निवासी ग्राम इकलहरा पुलिस थाना कैथवाडा जिला डीग से उसके भतीजे सुभाष पुत्र कुमर पाल जाति जाटव निवासी इकलहरा के विरूद्ध पुलिस थाना कैथवाडा में दर्ज प्रकरण संख्या 215/23 धारा 420, 467, 468 471 आईपीसी में परिवादी की भतीजी गुडडी को आरोपी नहीं बनाने व प्ररकण में मदद करने की एवज में आरोपी विश्वामित्र सहायक उप निरीक्षक द्वारा दिनांक 01.11.2023 को परिवादी रमेश चन्द से 20000/– रूपये रिश्वत की मांग करना। उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 01.11.2023 को गुलपाडा रोड कैथवाडा पर आरोपी को परिवादी से 20000 रूपये रिश्वत राशि लेते हुए पकडा जाना। आरोपी के पास से रिश्वत राशि 20000 रूपये बरामद होने का उक्त कृत्य जुर्म जैर दफा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित वर्ष 2018 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर अभियुक्त विश्वामित्र पुत्र श्री रामनाथ जाति ब्राहम्ण उम्र 59 साल निवासी मालपुरा पुलिस थाना रामगढ जिला अलवर हाल निवासी पुराने थाने के पास कस्बा सीकरी पुलिस थाना सीकरी जिला डीग हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कैथवाडा जिला डीगके विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर प्रेषित की जावेगी।

(अमित सिंह)
अति. पुलिस अधीक्षक,
एसीबी भरतपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमित सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 384 भादंसं में आरोपी श्री विश्वामित्र पुत्र श्री रामनाथ, हॉल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, थाना कैथवाड़ा जिला डीग के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 287/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

3/11/23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

क्रमांकः- 3007-10 दिनांक 03.11.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला डीग।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर।

पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।